भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1387
13 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

फसल कटाई के बाद नुकसान कम करने और शीत श्रृंखला अवसंरचना को बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता

1387. श्री शशांक मणि :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने किसानों को सहायता देने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि उपज के लिए शीत श्रृंखला अवसंरचना को बढ़ाने हेतु कोई विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पहल किसानों की आय में सुधार करने में किस प्रकार योगदान दे रही है; और

(घ) क्या सरकार की फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और शीत श्रृंखला अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता देने या उसे बढ़ाने की कोई और योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत, मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और एससी/एसटी, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं सहित कठिन क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से ₹15 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है । पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं का एक व्यापक पैकेज है, *अर्थात*। (i) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन योजना), (ii) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी योजना) - दीर्घकालिक हस्तक्षेप, (iii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन (एपीसी योजना), (iv) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी योजना), (v) बैकवर्ड और

फॉरवर्ड लिंकेज सृजन (सीबीएफएल योजना) - 01.04.2021 से बंद और (vi) मेगा फूड पार्क योजना (एमएफपी योजना) - 01.04.2021 से बंद, जिनका उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है। यह देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है, किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में मदद करता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है, कृषि उपज की बर्बादी को कम करता है, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाता है और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाता है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के एक घटक के रूप में एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। इस योजना में सामान्य क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत की 35% की दर से और एससी/एसटी, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं सहित कठिन क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत की 50% की दर से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, , जो कि खेत से उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के विकिरण सुविधाओं सहित एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है। एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या और निर्मित क्षमता का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ): खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना बर्बादी को कम करके, बेहतर मूल्य प्राप्ति और बेहतर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करके किसानों की आय में वृद्धि करती है।कोल्ड चेन योजना मांग आधारित है और इस योजना के तहत निधियों की उपलब्धता के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अभिरुचियों की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से पूरे देश से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 13.02.2025 को उत्तर हेतु "फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और कोल्ड चेन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता " के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1387 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं में अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या का विवरण			
क्रमांक	**योजना**	**स्वीकृत परियोजनाएँ**	**स्वीकृत जीआईए (करोड़ रुपए में)**
1	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर	75	194.04
2	बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन	61	143.31
3	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना	397	2108.02
4	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार	526	1083.84
5	मेगा फूड पार्क	41	1175.27
6	ऑपरेशन ग्रीन्स	45	42.41
	कुल	**1145**	**4746.89**

अनुबंध – II

दिनांक 13.02.2025 को उत्तर हेतु" फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और कोल्ड चेन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता " के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1387 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेएसवाई के एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना घटक के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण की गई परियोजनाओं और निर्मित क्षमता का विवरण					
क्रमांक	**योजना**	**स्वीकृत परियोजनाएँ**	**पूर्ण प्रोजेक्ट**	**प्रसंस्करण क्षमता (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)**	**परिरक्षण क्षमता (लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष)**
1	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना	397	286	112.35	25.39
	कुल	**397**	**286**	**112.35**	**25.39**

*****